

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल 2023-चैत्र 29, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. बी-1-68-2021-2-पांच (18)

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023

"मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2023"

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा हेरिटेज मदिरा से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती है।

उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित इन नियमों का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है।

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रवृत्त होना.

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2023" है।

(दो) ये नियम हेरिटेज स्पिरिट और हेरिटेज मदिरा के विनिर्माण, निर्यात, परिवहन, मिश्रण, सम्मिश्रण, बोतल भरने, कब्जे में रखने, बोतलों पर नामपत्र(लेबल) चिपकाए जाने, विक्रय तथा अन्य संगत मामलों पर लागू होंगे।

(तीन) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(एक) "अधिनियम" से आशय है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915);

(दो) "सम्मिश्रण" से आशय है उसी हेरिटेज स्पिरिट विनिर्माणी इकाई द्वारा विनिर्मित समान/अलग अलग तीव्रता वाली महुआ आधारित स्पिरिटों को मिलाया जाना; परन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार की स्पिरिट के साथ मिश्रण शामिल नहीं है ।।

(तीन) "मिश्रण" से आशय है हेरिटेज स्पिरिट में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित, प्राकृतिक फ्लेवर अथवा कैरेमल/ प्राकृतिक रंग अथवा दोनों पदार्थों को मिलाकर हेरिटेज मदिरा का तैयार किया जाना;

(चार) "हेरिटेज मदिरा" से आशय है अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित मदिरा;

(पाँच) "हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान" से आशय हैं हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से लगा हुआ ऐसा अनुज्ञप्त परिसर जहाँ अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा का स्वाद लेना और विक्रय अनुमत हो;

(छः) "हेरिटेज मदिरा विनिर्माता" से आशय है राज्य के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्त कोई जनजातीय स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.);

(सात) "हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई" से आशय है अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में स्थित कोई विनिर्माणी इकाई जहाँ एक या एक से अधिक पॉट स्टिल के उपयोग से हेरिटेज स्पिरिट या हेरिटेज मदिरा या दोनों का विनिर्माण किया जाता हो, जिसकी कुल पॉट स्टिल क्षमता 2000 लीटर से अधिक की न हो और जिसमें उसी परिसर में बोतल भराई इकाई हो;

(आठ) "हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान" से आशय है ऐसे अनुज्ञप्त परिसर, या तो स्वतंत्र रूप से या फिर अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्त अन्य प्रकार के परिसर के साथ जहाँ अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय अनुमत हो;

(नौ) "हेरिटेज स्पिरिट" से आशय है हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई द्वारा विनिर्मित प्लेन (सादा) स्पिरिट जो केवल महुआ के फूलों से बनी हो और जिसमें कोई मिश्रण या सम्मिश्रण नहीं किया गया है; इसमें पॉट स्टिल्स आसवित स्पिरिट के लिए अधिसूचित खाद्य संरक्षा और मानक (एल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 एवं भारतीय मानक IS 5287:2005 के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तीव्रता और विशिष्टियाँ होंगी;

(दस) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से आशय है इन नियमों में वर्णित अनुज्ञप्तियों से सम्बंधित कार्यों का निवर्हन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी;

(ग्यारह) "महुआ" से आशय है "मधुका इंडिका लोंगीफोलिया" नामक पौधा/वृक्ष और उसके फूल।

(बारह) "अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र" से आशय है सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के संदर्भ में इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(तेरह) "भारसाधक अधिकारी" से आशय है, हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई/इकाईयों के सम्बंध में भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई अधिकारी;

(चौदह) "व्यक्ति" में स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) सम्मिलित हैं;

(पंद्रह) "अनुसूचित जनजाति" से आशय है कोई जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा उस जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग अथवा उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश के संदर्भ में ऐसी जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(सोलह) "स्व-सहायता समूह" से आशय है राज्य के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का ऐसा समूह जो आमतौर पर 10 से 20 तक सदस्यों से मिलकर बना हो, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिला और कम से कम 25 प्रतिशत सदस्य दसवीं कक्षा अथवा उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त हों, तथा एकसमान उद्देश्य के साथ स्वेच्छापूर्वक एक साथ आए हों। स्व-सहायता समूह के सदस्य उस जनपद पंचायत के निवासी होंगे जिसके क्षेत्र के भीतर हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई स्थित हो;

(सत्रह) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिये गये हों।

3(1) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई के लिए अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का प्रदान किया जाना.-

- (क) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई का निर्माण करने और उसका व्यवसाय करने का आशय रखने वाले स्व-सहायता समूह के द्वारा जिले के कलेक्टर को प्रारूप "एच.एल.-क" में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ इकाई स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
- (ख) केवल इन नियमों में यथा परिभाषित स्व-सहायता समूह को ही हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी।
- (ग) आवेदन शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।
- (घ) कलेक्टर का, यदि स्वयं की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग), जिले का अग्रणी बैंक अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ, यदि कोई हो, से मिलकर बनेगी, प्रस्ताव की जाँच पड़ताल और परीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित योजना और आवेदक के प्रत्यय पत्र (योग्यता संबंधी दस्तावेज) के बारे में समाधान हो जाता है तो वह परिवर्तनों के साथ, यदि

कोई हों, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा और अनुमोदन पत्र के रूप में उसे प्रारूप "एच.एल.-ख" में संसूचित करेगा। अनुमोदन, उसे संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा, जब तक कि उसे 6 माह से अनधिक की कालावधि के लिए विशेष रूप से न बढ़ाया जाए। इस कालावधि के भीतर धारक को उपनियम (क) के अधीन प्रस्तुत और अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार से निर्माण को पूर्ण करना होगा तथा इकाई को चालू करने के लिए तैयार रखना होगा।

(ड) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इकाई का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् आवेदक जहाँ लागू हो, निम्न अनुमतियाँ प्राप्त करेगा :-

1. FSSAI का पंजीयन प्रमाण पत्र
2. प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र
3. विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र
4. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
5. बायलर सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. स्थानीय निकाय की अनापत्ति

आवेदक कार्य पूर्ण हो जाने तथा उपर्युक्त अनुमतियाँ प्राप्त हो जाने के सम्बन्ध में कलेक्टर को सूचित करेगा।

(च) उक्त सूचना के साथ साथ इस आशय का शपथ पत्र देगा कि इकाई के संचालन के पूर्व नियम 3(3)(छ) में उल्लेखित अनुसार आसावन कार्य में निपुण तथा प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारी व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त करेगा।

(छ) कलेक्टर, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण करवाएगा-

- (एक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत;
- (दो) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी;
- (तीन) कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग);
- (चार) आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ (यदि कोई हो)।

(ज) समिति की समाधानप्रद रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान इकाई द्वारा किये जाने के पश्चात् कलेक्टर, प्रारूप "एच.एल.-1" में हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए आवेदन के 1 माह के अंदर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रथम एक वर्ष में इकाई केवल 1000 लीटर की कुल पॉट स्टील क्षमता तक संचालित हो सकेगी। एक स्व-सहायता समूह ऐसी केवल एक ही अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होगा। अनुज्ञप्ति, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यक्षीन रहते हुए निरन्तर कालावधि के लिए वैध रहेगी।

- (झ) अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति को गिरवी नहीं रखेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा, बन्धक नहीं रखेगा, हस्तान्तरण नहीं करेगा अथवा उसे उप पट्टे पर नहीं देगा।
- (ञ) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई की मूल क्षमता का पूर्ण उपयोग हो चुकने तथा एक वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालित करने पर क्षमता वृद्धि का आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जा सकेगा। विनिर्माणी इकाई पूर्ण क्षमता से कार्यरत पाई जाती है तो उसकी क्षमता को अधिकतम 2000 लीटर तक की वृद्धि की अनुमति अनिवार्यतः दी जाएगी।
- (ट) अनुज्ञप्ति 'एच.एल.-1'के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क'के अनुसार होगा।

3(2) किसी अन्य स्व-सहायता समूह (SHG) को अनुज्ञप्त हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई की बिक्री -

किसी स्व-सहायता समूह (SHG) द्वारा अपनी अनुज्ञप्त हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई का विक्रय, ऐसी इकाई में उत्पादन शुरू होने से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के पूरा होने के बाद, किसी अन्य स्व-सहायता समूह (SHG) को किया जा सकेगा। ऐसी इकाई को क्रय करने वाले स्व-सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा इस हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए स्वयं के नाम से नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उप-नियम 3(1) के खंड (ड.) से (ट) तक के प्रावधान ऐसे मामले में लागू होंगे।

3(3) सम्मिश्रण, मिश्रण, विनिर्माण, प्रक्रिया तथा नियंत्रण.-

- (क) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई में स्थापित मशीन उपकरण इत्यादि आबकारी आयुक्त द्वारा मोटे तौर पर निर्धारित किये जाएँगे। कलेक्टर द्वारा उक्त के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुमोदित किया जायेगा। स्थापित भवन, संयंत्र तथा मशीनरी में किसी प्रकार का सुधार भारसाधक अधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकेगा परन्तु इस सुधार से विनिर्माण की मूलभूत प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।
- (ख) उत्पाद में अंतिम रूप से अल्कोहल की मात्रा का मापन, स्पिरिट और मदिरा का भंडारण, मदिरा की बोतल भराई तथा मदिरा का प्रेषण भारसाधक अधिकारी की देखरेख में किया जायेगा।

- (ग) हेरिटेज मदिरा विनिर्माता हेरिटेज मदिरा के निर्माण हेतु सम्मिश्रण तथा मिश्रण की प्रक्रिया कर सकेगा।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किए गए फार्मेट में आधारभूत सामग्री (बेस मटेरियल), मिश्रण पदार्थ, स्पिरिट तथा मदिरा इत्यादि का लेखा रखेगा।
- (ङ) उत्पादन शुरू होने के बाद, पहले महीने के लिए, उत्पादित प्रत्येक बैच के नमूने परीक्षण के लिए आबकारी विभाग की प्रयोगशाला/ एफएसएसएआई/ बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। मदिरा केवल तभी जारी की जाएगी जब परीक्षण के परिणाम आईएस 5287 : 2005 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- (च) पहले महीने के बाद, निर्मित स्पिरिट/मदिरा के प्रत्येक बैच के नमूने अनुज्ञप्तिधारी की कीमत पर रासायनिक विश्लेषण के उद्देश्य से भेजने हेतु लिए जाएंगे। बैच का परीक्षण आईएस 5287:2005 के अनुसार किया जाएगा। घटिया या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर, यदि मदिरा को पहले जारी किया जा चुका है, तो इसे वापस ले लिया जाएगा, फिर इसे पुनः आसवित किया जायेगा अथवा इसे अमान्य किया जाकर कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के आदेश के तहत नष्ट किया जाएगा।
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इकाई के तकनीकी पहलुओं के देख रेख के लिए एक योग्यताप्राप्त विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जायेंगी। ऐसा व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त संस्था से "फ़र्मिटेशन एवं एल्कोहोल तकनीक" विषय पर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारी होना चाहिये।
- (ज) अनुज्ञप्तिधारी इकाई के परिसर में स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी स्वयं की प्रयोगशाला में कम से कम निम्नलिखित परीक्षण किए जाएँगे -
- (एक) महुआ के फूल में आर्द्रता का प्रतिशत
 (दो) महुआ वाश में शक्कर की मात्रा
 (तीन) सामान्य आभास (गंध/स्वाद और सुगंध/तलछट रहित)
 (चार) उत्पाद में अल्कोहल की मात्रा
- (झ) IS 5287: 2005 के तहत निम्नलिखित परीक्षण किए जाएँगे:-
1. 20 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल अल्कोहल का वाल्यूम, (प्रतिशत में V/V)
 2. वाष्पीकरण पर अवशेष, प्रतिशत (m/v)
 3. एसिटिक एसिड के रूप में वाष्पशील एसिड, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
 4. एमाइल अल्कोहल के रूप में उच्च अल्कोहल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)

5. मिथाइल अल्कोहल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
6. एथिल एसीटेट के रूप में कुल एस्टर, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
7. फरफ्यूराल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
8. एसीटल्डिहाइड के रूप में एल्डिहाइड, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
9. कॉपर (मि.ग्रा./लीटर)

- (ज) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार सम्पूर्ण परीक्षण आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित, यादृच्छिक (रैंडम) नमूनों पर किए जा सकेंगे;
- (ट) अनुज्ञप्तिधारी महुआ के फूलों का स्वच्छतापूर्ण तथा स्वास्थ्यकर रूप में प्राप्त करने व उनका भण्डारण करने के लिए प्रबंध करेगा;
- (ठ) इकाई, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाए रखने तथा स्पिरिट की न्यूनतम अभिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ड) अनुज्ञप्तिधारी स्वयं द्वारा निर्मित हेरिटेज स्पिरिट का उपयोग केवल अपनी ही इकाई में हेरिटेज मदिरा के उत्पादन और बोतल भराई के लिए करेगा;
- (ढ) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की गई प्रक्रिया, मानकों, निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा को परिपक्व (Age) कर सकेगी;
- (ण) हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री आउटलेट अनुज्ञप्ति "एच.एल.-1-क" के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

4. हेरिटेज मदिरा की बोतल भराई.-

- 1) हेरिटेज मदिरा की बोतल भराई विनिर्माणी इकाई के अनुज्ञप्त परिसर में ही अनुमत होगी।
- 2) हेरिटेज मदिरा से बोतलें भरे जाने से सम्बंधित समस्त कार्य भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएँगे।
- 3) बोतलबंद हेरिटेज मदिरा के लिए, नामपत्र (लेबल) पर वर्णित अल्कोहल की तीव्रता में 1 प्रतिशत (v/v) तक अन्तर की गुंजाइश की अनुमति होगी।
- 4) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक बोतल पर नियम 5 के उपनियम (1) में वर्णित समस्त विशिष्टियाँ दर्शाते हुए आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल) चिपकाएगा।

- 5) हेरिटेज मदिरा को केवल 750 एम.एल. तक की कांच की बोतलों में बोतलबंद किया जा सकेगा। भारत के बाहर हेरिटेज मदिरा का निर्यात अन्य प्रकार तथा क्षमता के कंटेनर्स में किया जा सकेगा ।
- 6) प्रत्येक बोतल/कंटेनर पर एक्साइज एडेसिव लेबल/होलोग्राम चस्पा किया जाएगा । ।
- 7) बोतलें भरे जाने का शुल्क इन नियमों की अनुसूची- 'क' के अनुसार होगा।

5. नामपत्रों (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण.-

- 1) हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली समस्त इकाईयों को, उनके द्वारा विनिर्मित अथवा विनिर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित मदिरा के लिए नामपत्रों (लेबल) को आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। इन नामपत्रों का बौद्धिक संपदा का अधिकार विनिर्माण करने वाली इकाई का होगा। नामपत्रों (लेबल) में, जिनका कि हेरिटेज मदिरा की बोतलों पर मुद्रित किया जाना तथा चिपकाया जाना अपेक्षित है, न्यूनतम निम्न संकेत वाक्य तथा विवरण हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अन्तर्विष्ट होना चाहिए -
 - (क) शब्द "हेरिटेज महुआ मदिरा" तथा "मध्यप्रदेश".
 - (ख) "पॉट स्टिल द्वारा आसवित"
 - (ग) विनिर्माण किए जाने की तारीख, माह तथा वर्ष.
 - (घ) स्व-सहायता समूह का नाम
 - (ङ) विनिर्माणी इकाई का नाम तथा स्थान.
 - (च) बैच नम्बर.
 - (छ) जिस अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में उत्पादित, उसका नाम.
 - (ज) ब्राण्ड का नाम.
 - (झ) नामपत्र (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.
 - (ञ) न्यूनतम विक्रय मूल्य.
 - (ट) अधिकतम फुटकर मूल्य.
 - (ठ) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.
 - (ड) अल्कोहल की मात्रा (v/v) प्रतिशत में.
 - (ढ) कुल मात्रा मिली लीटर में
 - (ण) मध्यप्रदेश में विक्रय के लिए/निर्यात के लिए.
 - (त) जिस इकाई द्वारा पैक/विपणन/वितरण किया गया है, उसका नाम
 - (थ) "मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है."
 - (द) "शराब पीकर वाहन न चलाएँ".
 - (ध) आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निदेशित अन्य जानकारी।

परंतु, इकाई द्वारा 'महुआ' शब्द का उपयोग ट्रेडमार्क या ब्रांड के रूप में नहीं किया जाएगा।

- 2) नियम 6 (ख) के अंतर्गत की गई भागीदारी अनुसार किसी इकाई के विपणन भागीदार द्वारा केवल भारत के बाहर निर्यात करने के लिये अपने नामपत्र का रजिस्ट्रीकरण करावाया जा सकेगा।
- 3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट संकेत वाक्य /विवरण दर्शाने वाले तथा आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत पंजीकृत लेबल वाली हेरिटेज मदिरा की बोतलें ही मध्यप्रदेश में बेची और लाई जा सकती हैं। निर्यात की जाने वाली बोतलों के लिए, लेबल में ऐसी अतिरिक्त जानकारी हो सकती है जो आयात करने वाली इकाई/प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
- 4) नामपत्र (लेबल) रजिस्ट्रीकरण शुल्क इन नियमों की **अनुसूची-'क'** के अनुसार होगा।

6. हेरिटेज मदिरा का परिवहन तथा विक्रय.-

- (क) हेरिटेज मदिरा का परिवहन प्रारूप "एच.एल.-3" एवं प्रारूप "एच.एल.-4" में अनुमत होगा।
- (ख) हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को हेरिटेज मदिरा के डिजायनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, व्यापार-चिह्न, वितरण तथा विक्रय के लिए विपणन संस्थाओं की सेवाएँ लेने की अथवा उनसे भागीदारी करने की अनुमति होगी। ऐसी विपणन संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत कम्पनियाँ या पंजीकृत सहकारी संस्थाएं अथवा पंजीकृत सोसायटी हो सकेंगे और हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाइयों के साथ भुगतान पर आधारित/राजस्व में हिस्सेदारी के मॉडल पर अनुबंध कर सकेंगे। ऐसे अनुबंधों के निबन्धन एवं शर्तों आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्याधीन कलेक्टर द्वारा अनुमोदित की जाएँगी।
- (ग) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार इकाई के परिसर में स्वाद लेने और विक्रय की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए "एच.एल.-1-क" अनुज्ञप्ति फैक्ट्री फुटकर दुकान (एफ.आर.ओ.) के लिए आवेदन कर सकेगी।
- (घ) विनिर्माण करने वाली इकाई की स्वयं की दुकान/फ्रेन्चाइजी दुकान/विपणन भागीदारों की दुकान के माध्यम से हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय करने के लिए फुटकर दुकान (आरओ) की अनुज्ञप्ति (एच.एल.- 2) कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। हेरिटेज मदिरा के विक्रय की अनुमति शासन द्वारा नीति अथवा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत स्थानों के सिवाय किसी भी अन्य स्थल पर दी जा सकेगी।

- (ड) हेरिटेज मदिरा का विक्रय अनुज्ञप्त देशी मदिरा /विदेशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा की दुकानों/वाइन की दुकानों/विदेशी मदिरा नियमों के तहत अन्य अनुज्ञप्त विक्रय स्थलों के माध्यम से नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी अनुमति दिये जाने पर इन नियमों के तहत ऐसी दुकानों द्वारा अलग से कोई फुटकर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (च) हेरिटेज मदिरा का विक्रय एयरपोर्ट पर स्थित दुकानों से भी किया जा सकेगा।
- (छ) ऊपर वर्णित फुटकर दुकानों को हेरिटेज मदिरा का प्रदाय या विक्रय, विनिर्माण करने वाली इकाई/विपणन भागीदार द्वारा सीधे किया जाएगा।
- (ज) हेरिटेज मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जबकि हेरिटेज मदिरा का अधिकतम फुटकर मूल्य, हेरिटेज मदिरा विनिर्माण करने वाली इकाई/विपणन भागीदार द्वारा स्वयं विनिश्चित किया जाएगा।
- (झ) हेरिटेज मदिरा का विक्रय एफ.एल.-2, एफ.एल.-2कक, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3क तथा एफ.एल.-4 बार अनुज्ञप्तियों के माध्यम से भी अनुमत होगा। उक्त बार, हेरिटेज मदिरा सीधे विनिर्माणी इकाई से प्राप्त कर सकेंगे।
- (ञ) आबकारी आयुक्त, अनुज्ञा प्राप्त फुटकर दुकान /बार को वितरण किए जाने के लिए देशी/विदेशी मदिरा के भाण्डागारों में हेरिटेज मदिरा के भण्डारण हेतु निःशुल्क या सशुल्क अनुमति दे सकेंगे।
- (ट) "एच.एल.-1-क/एच.एल.-2" का अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

7 (1) हेरिटेज मदिरा का निर्यात .-

- (1) केवल बोटलबंद एवं नामपत्र (लेबल) युक्त हेरिटेज मदिरा के भारत के अंदर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। खुली हेरिटेज मदिरा का केवल भारत के बाहर निर्यात अनुमत होगा।
- (2) केवल उन्ही नामपत्रों की हेरिटेज मदिरा के निर्यात की अनुमति होगी, जो इन नियमों के नियम 5 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त के पास पंजीकृत होंगे।
- (3) "एच.एल.-1" अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी अथवा/तथा उनके विपणन भागीदार को निर्यात की अनुमति होगी।

- (4) निर्यातक को शासन द्वारा यथा विनिश्चित विहित निर्यात शुल्क, यदि कोई हो, का अग्रिम भुगतान करना होगा।
- (5) निर्यात की अनुज्ञा प्रदान किए जाने के लिए कलेक्टर अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। आवेदन में आवश्यक विवरण जैसे निर्यातक का नाम, पता, हेरिटेज मदिरा की मात्रा, विवरण तथा उसमें अल्कोहल की तीव्रता, उस इकाई का नाम जहाँ वह निर्यात की जाएगी, नामपत्र (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। भारत के अंदर निर्यात होने पर निर्यातक द्वारा आवेदन के साथ आयात करने वाले जिले के प्राधिकृत आबकारी प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा आयात पास/अनुज्ञा पत्र तथा उस बैच की मदिरा की रसायनिक टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।
- (6) उपनियम (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी, आवश्यक जाँच करेगा और यदि इन नियमों में अधिकथित शर्तों का समाधानप्रद रूप में अनुपालन किया गया हो तथा भारसाधक अधिकारी का यह मत हो कि निर्यात अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह प्रारूप "एच.एल.-5" में अनुज्ञा पत्र आवेदन प्राप्ति के 3 दिवस में जारी करेगा।

7(2) हेरिटेज मदिरा के निर्यात की सत्यापन रिपोर्ट का प्राप्त किया जाना.-

निर्यातक, आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसे उस प्राधिकारी को, जिसने निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया है, अनुज्ञापत्र की कालावधि का अवसान होने से 25 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यातक ऐसा करने में असफल रहता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिश्चित जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु उस दशा में जहाँ कि सत्यापन रिपोर्ट विनिश्चित की गई समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई हो, अधिरोपित किया गया जुर्माना सम्यक् सत्यापन के पश्चात् निर्यातक को वापस कर दिया जाएगा। उस दशा में जहाँ कि भेजा गया माल दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा बीच में ही अभिग्रहीत कर लिया गया हो, और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाया हो तो इस सम्बंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाने पर अधिरोपित किया गया जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि हेरिटेज मदिरा का किसी अन्य देश को निर्यात किया गया है तो मदिरा का निर्यात करने वाला अनुज्ञापतिधारी यह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि भेजा गया माल देश से बाहर जा चुका है।

8. समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को परिवहन अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करना होगा.-

अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर से अथवा उस तक हेरिटेज मदिरा का परिवहन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी परिवहन अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को परिवहन अनुज्ञापत्र में दी गई समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

9. शास्तियाँ-

- (1) इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्तियों की शर्तों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति की शर्तों, अथवा इन नियमों में से किसी नियम के अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के किन्हीं सुसंगत खण्डों के अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों के किसी भंग अथवा उल्लंघन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी पर रूपये 5000/- से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- (2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों, अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत खण्डों अथवा इन नियमों अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के किसी भंग अथवा उल्लंघन पर अधिनियम भी धारा 31 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकेगा।

10. विविध.-

- (1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी समय समर्पित कर सकेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएँ विभाग के अधिकृत ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से की जाएँगी।
- (3) अनुज्ञप्त हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अनुज्ञप्ति एच-1 प्राप्त करने के 3 माह के अंदर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अल्प अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा।

11. अनुज्ञप्तियों/प्रारूपों की श्रेणियाँ -

- (क) एच.एल.-क :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए आवेदन.
- (ख) एच.एल.-ख :- हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई के लिए अनुमोदन पत्र.
- (ग) एच.एल.-1 :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई (एच.एल.एम.यू.) के लिए अनुज्ञप्ति.
- (घ) एच.एल.-1-क :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से संलग्न हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान (एफ.आर.ओ.) के लिए अनुज्ञप्ति.

- (ड) एच.एल.-2 :- हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान (आर.ओ.) के लिए अनुज्ञप्ति.
- (च) एच.एल.-3 :- बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से फैक्ट्री फुटकर दुकान /फुटकर दुकान /बार/अन्य विक्रय केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.
- (छ) एच.एल.-4 :- बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का, फैक्ट्री फुटकर दुकान /फुटकर दुकान से बार तथा अन्य विक्रय केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.
- (ज) एच.एल.-5 :- हेरिटेज मदिरा का निर्यात करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.

अनुसूची- "क"

| सरल क्रमांक | शीर्ष | शुल्क (रूपये) | अभ्युक्तियां |
|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | एच.एल.एम.यू. स्थापित करने के लिए आवेदन शुल्क | 1,000 | एक बार |
| 2 | एच.एल.-1 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (एच.एल.एम.यू.) | 5,000 | प्रति वर्ष |
| 3 | एच.एल.-1-क अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क(एफआरओ) | 1,000 | प्रति वर्ष |
| 4 | एच.एल.-2 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (आरओ) | 5,000 | प्रति वर्ष |
| 5 | बोतल भराई शुल्क | निरंक | -- |
| 6 | नामपत्र (लेबल) रजिस्ट्रीकरण शुल्क | 1,000 | प्रति नामपत्र (लेबल) |
| 7 | निर्यात शुल्क | निरंक | -- |
| 8 | परिवहन शुल्क | निरंक | प्रति अनुज्ञा पत्र |

प्रारूप एच.एल.-'क'

[नियम 3(1)(क) देखिए]

हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच.एल.एम.यू.) स्थापित किए जाने के लिए आवेदन

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र का नाम | - | |
| 2. आवेदक स्व-सहायता समूह का विवरण | - | |
| (i) स्व-सहायता समूह का नाम और पता | - | |
| (ii) स्व-सहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक | - | |
| (iii) कुल सदस्य संख्या | - | |
| (iv) सदस्यों के नाम | - | |
| (v) महिला सदस्यों की संख्या | - | |
| (vi) कक्षा दसवीं या अधिक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या | - | |
| (vii) सदस्यों की अंकसूचियाँ, संलग्न की गई | - | हाँ/नहीं |
| (viii) सदस्यों के डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, संलग्न किये गये | - | हाँ/नहीं |
| (ix) स्व-सहायता समूह के बैंक खाते का विवरण | - | |
| (x) स्व-सहायता समूह का स्थायी खाता क्रमांक (पैन कार्ड) | - | |
| 3. कार्य अनुभव, यदि कोई हो | - | |
| 4. हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए प्रस्तावित स्थान | - | |
| (i) भूमि का विवरण | - | |
| (क) खसरा नम्बर | - | |
| (ख) क्षेत्र | - | |
| (ग) भूमि स्वामी का नाम | - | |
| (घ) निर्माण का विवरण (यदि कोई हो) | - | |

- (ii) ग्राम -
- (iii) तहसील -
- (iv) जिला -
- 5. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संलग्न करें -
- 6. प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता -
- 7. पानी और बिजली की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता -
- 8. स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र -
- 9. प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र -
- 10. प्रस्तावित हेरिटेज मंदिर के ब्राण्डस और नामपत्र (लेबल) का विवरण -
- 11. रोजगार देने की क्षमता
 - (i) पर्यवेक्षण-कर्मि -
 - (ii) कुशल-कर्मि -
 - (iii) अकुशल-कर्मि -
- 12. (i) शासन से अपेक्षित अन्य कोई सुविधाएँ -
- (ii) योजना की खास विशेषताएँ (यदि कोई हों) -
- 13. शुल्क के भुगतान को प्रमाणित करने वाला चालान क्रमांक व दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर,
दिनांक सहित

प्रारूप एच.एल.-'ख'
[नियम 3(1)(घ) देखिए]

द्वारा,

कलेक्टर

जिला

प्रति,

मेसर्स

.....

विषय - हेरिटेज मदिरा के विनिर्माण की योजना का अनुमोदन।

संदर्भ - हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण किए जाने विषयक आपका प्रस्ताव दिनांक

हेरिटेज मदिरा के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए ऊपर संदर्भित आपके पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का कलेक्टर ने अवलोकन किया है और नियमों में वर्णित औपचारिकताओं की आपके द्वारा पूर्ति कर दिए जाने पर बिना किसी वचनबद्धता के प्रस्ताव को अस्थायी रूप से निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित करने का विनिश्चय किया है :-

(i)

(ii)

(iii)

किन्हीं अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा मध्यप्रदेश सरकार के साथ-साथ भारत सरकार के आदेशों के अंतर्गत आपकी परियोजना के लिए अपेक्षित कोई अन्य अनुज्ञप्तियाँ अथवा अनुमतियाँ अभिप्राप्त करने का आपका अनन्य उत्तरदायित्व होगा।

अनुमोदन का यह पत्र उसके संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक वैध रहेगा। तथापि, यह आपके पक्ष में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार

प्रदान नहीं करेगा और यह जनहित में किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा और ऐसी दशा में कोई भी क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी, जो भी हो, देय नहीं होगी।

कलेक्टर

जिला

नोट - आपके आवेदन पत्र तथा संशोधनों के अनुसार परियोजना पूर्ण होने पर एच.एल.-1 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करें या इस कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रारूप एच.एल.-1

[नियम 3(1) (ज) देखिए]

हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच.एल.एम.यू.) में हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति

मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022 के अधीन तथा अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 5,000/- के भुगतान के प्रतिफल में..... (ग्राम/तहसील/जिला) के(स्व-सहायता समूह का नाम) को, जिसे एतस्मिन्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित किए गए अनुसार (ग्राम/तहसील/जिला) में विनिर्माण इकाई में दिनांक से दिनांक तक हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, -

1. हेरिटेज स्पिरिट/मदिरा के विनिर्माण से सम्बंधित समस्त कार्य कलेक्टर द्वारा अनुमोदित तथा इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न नक्शे तथा योजना के अनुसार (ग्राम/तहसील/जिला) में स्थित अनुज्ञप्त परिसरों में किए जाएँगे।
2. अनुज्ञप्तिधारी, भारसाधक अधिकारी को, समस्त ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए पूर्व सूचना दिए बिना हेरिटेज स्पिरिट/मदिरा का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने के लिए हेरिटेज स्पिरिट यथाविहित निबंधनों और शर्तों के अनुसार केवल अपनी स्वयं की इकाई से प्राप्त करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, बोतल भराई के पूर्व विहित बोतल भराई शुल्क, यदि कोई हो, अग्रिम जमा करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, हेरिटेज मदिरा के विनिर्माण की प्रक्रिया में केवल स्वच्छ और पीने योग्य पानी का उपयोग करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मिलाये जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करेगा। सिंथेटिक/कृत्रिम मिलाये जाने वाले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
7. समस्त हेरिटेज मदिरा को, जो एक ही मिश्रण संक्रिया में बोतल बन्द की गई हो, एक ही बैच नम्बर दिया जाएगा तथा उसे बोतलबन्द, सीलबन्द किया जाएगा और उस पर नामपत्र (लेबल) लगाए जाएँगे।
8. अनुज्ञप्तिधारी, हेरिटेज मदिरा की प्रत्येक बोतल पर एक्साइज एडेसिव लेबल (ई.ए.एल.)/होलोग्राम चिपकाएगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे नामपत्रों (लेबल) का उपयोग करेगा, जो कि आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत हों। बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्र (लेबल) मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022 के नियम 5(1) के अनुसार होंगे।
10. विनिर्मित हेरिटेज मदिरा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानक IS 5287:2005 तथा आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविनिश्चित किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप होगी।

11. अनुज्ञिधारी, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञिप्ति की शर्तों का पालन करेगा। वह राज्य सरकार तथा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अनुदेशों का भी अनुसरण करेगा।
12. अनुज्ञिप्तिधारी, कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना आसवन की क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा।
13. इस अनुज्ञिप्ति की किसी शर्त का अथवा सामान्य अनुज्ञिप्ति शर्तों के सुसंगत खण्डों का अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंधों का अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई भंग होने पर कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी अथवा अनुज्ञिप्ति को निलंबित/निरस्त किया जा सकेगा।

आज दिनांक को प्रदान की गई।

कलेक्टर

जिला

अनुसूची

| कार्य स्थल का वर्णन | कार्य स्थल की सीमाएँ | | | |
|---------------------|----------------------|-------|--------|--------|
| | उत्तर | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम |
| | | | | |

कलेक्टर

जिला

प्रारूप एच.एल.-1क**[नियम 6 (ग) देखिए]**

(हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से संलग्न हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान से हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय और स्वाद लेने के लिए अनुज्ञप्ति)

मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022 के अधीन तथा अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 1,000/- के भुगतान के प्रतिफल में (ग्राम/तहसील/जिला) के (स्व-सहायता समूह का नाम) को, जिसे एतस्मिन्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित किए गए अनुसार (ग्राम/तहसील/जिला) में स्थित दुकान से दिनांक से दिनांक तक हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय और स्वाद लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, -

1. दुकान की स्थापना और संचालन का प्रबंध केवल हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली इकाई/विपणन भागीदार द्वारा किया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपनी फुटकर दुकान का, आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, बंधक, विक्रय, पट्टा, हस्तांतरित या उप-पट्टा नहीं करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, हेरिटेज मदिरा की आपूर्ति केवल हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली उस इकाई से, जिससे कि वह संलग्न है, हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप एच.एल.-3 में जारी किए गए परिवहन अनुज्ञापत्र के आधार पर ही प्राप्त करेगा।
4. किसी व्यक्ति को हेरिटेज मदिरा के विक्रय की अधिकतम सीमा, एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम हेरिटेज मदिरा रखे जाने की सीमा के भीतर होगी।
5. आबकारी आयुक्त द्वारा विहित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार दुकान पर हेरिटेज मदिरा का स्वाद कराए जाने की अनुमति होगी।
6. 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को हेरिटेज मदिरा बेची नहीं जाएगी, उसका स्वाद नहीं कराया जाएगा।
7. दुकान से रेस्तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार, वाणिज्यिक क्लब बार तथा विक्रय के अन्य प्राधिकृत केन्द्रों तक बोटलबन्द हेरिटेज मदिरा का विक्रय इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप एच.एल.-4 में जारी किए गए परिवहन अनुज्ञापत्र के आधार पर किया जाएगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी क्रमानुसार प्राप्त होने वाले स्टॉक के समस्त पारपत्रों और बीजकों (इनवाइस) को सुरक्षित रखेगा और जाँचकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई और बेची गई हेरिटेज मदिरा का दिन-प्रतिदिन का नामपत्रवार (लेबलवार) लेखा रखेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी उन शुष्क दिवसों पर दुकान बंद रखेगा, जो अनुसूची-दो में दिये गये हैं।

11. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत खण्डों का अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंधों का अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई भंग होने पर कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी अथवा इस अनुज्ञप्ति को निलंबित/निरस्त किया जा सकेगा।

आज दिनांक को प्रदान की गई।

कलेक्टर
जिला

अनुसूची-एक

| कार्य स्थल का वर्णन | कार्य स्थल की सीमाएँ | | | |
|---------------------|----------------------|-------|--------|--------|
| | उत्तर | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम |
| | | | | |

कलेक्टर
जिला

अनुसूची-दो

शुष्क दिवसों की सूची

प्रारूप एच.एल.-2**[नियम 6 (घ) देखिए]****दुकान (आर.ओ.) में हेरिटेज मदिरा का विक्रय करने के लिए फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति**

मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022 के अधीन तथा अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 1,000/- के भुगतान के प्रतिफल में (ग्राम/तहसील/जिला) के निवासी को, जिसे एतस्मिनपश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित किए गए अनुसार (ग्राम/तहसील/जिला) में अवस्थित दुकान में दिनांक से दिनांक तक हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, -

1. दुकान की स्थापना और संचालन का प्रबंध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपनी फुटकर दुकान का, आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, बंधक, विक्रय, पट्टा, हस्तांतरित या उप पट्टा नहीं करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, हेरिटेज मदिरा की आपूर्ति, हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली किसी अनुज्ञप्त इकाई से, इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप एच.एल.-3 में जारी किए गए परिवहन अनुज्ञापत्र के आधार पर प्राप्त करेगा।
4. किसी व्यक्ति को हेरिटेज मदिरा के विक्रय की अधिकतम सीमा, एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम हेरिटेज मदिरा रखे जाने की सीमा के भीतर होगी।
5. अनुज्ञप्तिधारी हेरिटेज मदिरा की बिक्री केवल सीलबन्द बोतल में ही करेगा।
6. दुकान परिसर में हेरिटेज मदिरा पीना अनुमत नहीं होगा।
7. दुकान से रेस्तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार, वाणिज्यिक क्लब बार तथा विक्रय के अन्य प्राधिकृत केन्द्रों तक बोतलबन्द हेरिटेज मदिरा का विक्रय, आबकारी वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप एच.एल.-4 में जारी किए गए परिवहन अनुज्ञापत्र के आधार पर किया जाएगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी क्रमानुसार प्राप्त होने वाले स्टॉक के समस्त पारपत्रों और बीजकों (इनवाइस) को सुरक्षित रखेगा और जाँचकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई और बेची गई हेरिटेज मदिरा का दिन-प्रतिदिन का नामपत्रवार (लेबलवार) लेखा रखेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी उन शुष्क दिवसों पर दुकान बंद रखेगा, जो अनुसूची-दो में दिये गये हैं।

11. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत खण्डों का अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंधों का अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई भंग होने पर कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी अथवा इस अनुज्ञप्ति को निलंबित/निरस्त किया जा सकेगा।
आज दिनांक को प्रदान की गई।

कलेक्टर

जिला

अनुसूची-एक

| कार्य स्थल का वर्णन | कार्य स्थल की सीमाएँ | | | |
|---------------------|----------------------|-------|--------|--------|
| | उत्तर | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम |
| | | | | |

कलेक्टर

जिला

अनुसूची-दो

शुष्क दिवसों की सूची

प्रारूप एच.एल.-3
परिवहन अनुज्ञा पत्र

[नियम 6(क) देखिए]

[हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच.एल.-1) से हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान (एच.एल.-1क) / हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2) तक बोटलबंद हेरिटेज मदिरा के परिवहन के लिए]

क्रमांक

दिनांक

भाग एक : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए।

भाग दो : हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई [एच.एल.-1] से हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान [एच.एल.-1क]/ हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान [एच.एल.-2] के लिए हेरिटेज मदिरा क्रय करने वाले अनुज्ञाप्तिधारी के लिए।

भाग तीन: यह भाग परिवहन के दौरान परेषण के लिए होगा और उसे आबकारी वृत्त का भारसाधक अधिकारी, जिसमें हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान/हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान स्थित हैं, उस पर सत्यापन का नोट अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अपने कार्यालय के अभिलेख में रखेगा।

भाग चार: विक्रेता अनुज्ञाप्तिधारी के लिए, अभिलेख हेतु।

श्री/मेसर्स को जो एच.एल.-1क/एच.एल.-2 अनुज्ञाप्ति का धारक है पर उसके/उनके अनुज्ञाप्त परिसर तक एच.एल.-1 अनुज्ञाप्तिधारी से हेरिटेज मदिरा कीपूफ/बल्क लीटर हेरिटेज मदिरा का, जिसका विवरण पीछे दिया गया है, का परिवहन करने के लिए एतद्वारा अनुज्ञा दी जाती है।

अनुज्ञा पत्र के धारक ने चालान क्रमांक दिनांक द्वारा परिवहन शुल्क रूपये..... (..... रूपये केवल) जिले में जमा कर दिया है। यह अनुज्ञा पत्र दिनांक तक वैध रहेगा।

शर्तें

1. प्रेषित माल को परिवहन में खंडित (नष्ट) नहीं किया जाएगा और गंतव्य स्थान तक मार्ग से होकर भेजा जाएगा।
2. वाहन क्रमांक ने आज दिनांक को बजे (दिन/रात) इस इकाई के अनुज्ञाप्त परिसर से पीछे दिए गए विवरण के अनुसार हेरिटेज मदिरा लेकर प्रस्थान किया।

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई
जिला (म.प्र.)

(उस हेरिटेज मदिरा का विवरण जिसके लिए यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है)

| सरल क्रमांक | ब्राण्ड/ नामपत्र (लेबल) | बैच क्रमांक व दिनांक | पेटियों की संख्या | | | | पेटियों की कुल संख्या | तीव्रता | बल्क लीटर में मात्रा | पूफ लीटर में मात्रा |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | 750 मि.ली. | 375 मि.ली. | 180 मि.ली. | 90 मि.ली. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई
जिला (म.प्र.)

प्रारूप एच.एल.-4
परिवहन अनुज्ञा पत्र
 [नियम 6(क) देखिए]

[हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच.एल.-1), हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान (एच.एल.-1क)/ हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2) से बार/विक्रय के केन्द्र तक बोटलबन्द हेरिटेज मदिरा के परिवहन के लिए]

क्रमांक

दिनांक

भाग एक : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए।

भाग दो : एच.एल.-1, एच.एल.-1क, एच.एल.-2 अनुज्ञप्त परिसर से बार/विक्रय के अन्य केन्द्र के लिए हेरिटेज मदिरा क्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के लिए।

भाग तीन: यह भाग परिवहन के दौरान परेषण के लिए होगा और उसे आबकारी वृत्त का भारसाधक अधिकारी, जिसमें बार/विक्रय के अन्य केन्द्र स्थित हैं, उस पर सत्यापन का नोट अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अपने कार्यालय के अभिलेख में रखेगा।

भाग चार: विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए, अभिलेख हेतु।

श्री/मेसर्स को जो एफ.एल.-2/एफ.एल.-2ककक/एफ.एल.-3/एफ.एल.-3क/एफ.एल.-4 अनुज्ञप्ति का धारक है पर उसके/उनके अनुज्ञप्त परिसर तक एच.एल.-1/एच.एल.-1क/एच.एल.-2 अनुज्ञप्तिधारी से हेरिटेज मदिरा की प्रूफ/बल्क लीटर हेरिटेज मदिरा का, जिसका विवरण पीछे दिया गया है, का परिवहन करने के लिए एतद्वारा अनुज्ञा दी जाती है।

अनुज्ञा पत्र के धारक ने चालान क्रमांक दिनांक द्वारा परिवहन शुल्क रूपये (..... रूपये केवल) जिले में जमा कर दिया है। यह अनुज्ञा पत्र दिनांक तक वैध रहेगा।

शर्तें

1. प्रेषित माल को परिवहन में खंडित (नष्ट) नहीं किया जाएगा और गंतव्य स्थान तक मार्ग से होकर भेजा जाएगा।
2. वाहन क्रमांक ने आज दिनांक को बजे (दिन/रात) इस इकाई के अनुज्ञप्त परिसर से पीछे दिए गए विवरण के अनुसार हेरिटेज मदिरा लेकर प्रस्थान किया।

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
 हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई

/ आबकारी उपनिरीक्षक
 वृत्त
 जिला (म.प्र.)

(उस हेरिटेज मदिरा का विवरण जिसके लिए यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है)

| सरल क्रमांक | ब्राण्ड/ नामपत्र (लेबल) | बैच क्रमांक व दिनांक | पेटियों की संख्या | | | | पेटियों की कुल संख्या | तीव्रता | बल्क लीटर में मात्रा | प्रूफ लीटर में मात्रा |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| | | | 750 मि.ली. | 375 मि.ली. | 180 मि.ली. | 90 मि.ली. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई

/ आबकारी उपनिरीक्षक
वृत्त
जिला (म.प्र.)

प्रारूप एच.एल.-5

परिवहन अनुज्ञा पत्र (निर्यात के लिए)

[नियम 7 (1)(6) देखिए]

हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच.एल.-1) से बोटलबन्द हेरिटेज मदिरा के निर्यात के लिए

क्रमांक

दिनांक

भाग एक - हेरिटेज मदिरा की विनिर्माण इकाई में रखा जाए।

भाग दो - हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई से परिवहन करने वाले अनुज्ञापतिधारी के लिए। यह भाग परिवहन के दौरान परेषण के लिए होगा।

भाग तीन- आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी को भेजा जाए।

भाग चार- आयात को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी को भेजा जाए जो उसे आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी को, प्रेषित किए गए, परेषण के सत्यापन के लिए तथा निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले कार्यालय को भेजे जाने के लिए आगे भेजेगा।

श्री / मेसर्स को, जो कि हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई (एच.एल.-1) का अनुज्ञापतिधारी है, को हेरिटेज मदिरा, जिसका विवरण, पृष्ठ भाग में दिया गया है,(ग्राम/तहसील/जिला) में स्थित अपने अनुज्ञापत परिसर सेराज्य में(ग्राम/तहसील/जिला) में स्थित..... (आयातक इकाई का नाम व पता) तक हेरिटेज मदिरा का परिवहन करने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

इस अनुज्ञा पत्र के धारक ने चालान क्रमांक दिनांक द्वारा निर्यात शुल्क रूपये (रूपये केवल) जिले में जमा कर दिये हैं। यह अनुज्ञा पत्र दिनांक तक वैध रहेगा।

शर्तें

1. प्रेषित माल को परिवहन में खंडित (नष्ट) नहीं किया जाएगा और गंतव्य स्थान तक से होकर भेजा जाएगा।
2. वाहन क्रमांक ने आज दिनांक को बजे (दिन/रात) इस इकाई के अनुज्ञापत परिसर से पीछे दिए गए विवरण के अनुसार हेरिटेज मदिरा लेकर प्रस्थान किया।

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई
जिला (म.प्र.)

(उस हेरिटेज मदिरा का विवरण जिसके लिए यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है)

| सरल क्रमांक | ब्राण्ड/ नामपत्र (लेबल) | बैच क्रमांक व दिनांक | पेटियों की संख्या | | | | पेटियों की कुल संख्या | तीव्रता | बल्क लीटर में मात्रा | प्रूफ लीटर में मात्रा |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| | | | 750 मि.ली. | 375 मि.ली. | 180 मि.ली. | 90 मि.ली. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

दिनांक

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई
जिला (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्र. बी-1-68-2021-2-पांच (18).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-68-2021-2-पांच (18), दिनांक 19 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2023

No. B-1-68-2021-2-V-(18)

"MADHYA PRADESH HERITAGE LIQUOR RULES, 2023"

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 62, of Madhya Pradesh Excise Act 1915 (No II of 1915), The State Government hereby makes the following rules related to Heritage Liquor. The same has been previously published as required by sub-section (3) of section 62 of the said Act.

RULES

1. Short title, application, and commencement. –

- (i) These rules shall be called "The Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2023".
- (ii) They shall apply to manufacture, export, transport, compounding, blending, bottling, possession, labeling of bottles, sale and other incidental matters of heritage spirit and heritage liquor.
- (iii) These rules shall come into force from the date of publication in the gazette.

2. Definitions. –In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (i) **"Act"** means the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915);
- (ii) **"Blending"** means the mixing of Mahua-based heritage spirits of same or different strengths manufactured by the same heritage spirit manufacturing unit but does not include mixing with any other type of spirit;
- (iii) **"Compounding"** means the preparation of heritage liquor by the addition of natural flavoring or caramel/natural coloring agents or both to heritage spirit as approved by the Excise Commissioner;
- (iv) **"Heritage Liquor"** means liquor declared as such by the State Government under Section 4 of the Act;

- (v) **“Heritage Liquor Factory Retail Outlet”** means such licensed premises attached with a heritage liquor manufacturing unit where tasting and sale of heritage liquor is allowed as per approved terms and conditions;
- (vi) **“Heritage Liquor Manufacturer”** means a tribal Self Help Group (SHG) licensed to manufacture Heritage Liquor in the notified tribal area of the state;
- (vii) **“Heritage Liquor Manufacturing unit”** means a manufactory in a notified tribal area with a total Pot Still capacity of not more than 2000 liters where heritage spirit or heritage liquor or both are manufactured using one or more Pot Stills and having a bottling unit in the same premises;
- (viii) **“Heritage Liquor Retail Outlet”** means a licensed premises, either independently or in conjunction with other types of premises licensed under the Act, where retail sale of heritage liquor is allowed as per approved terms and conditions;
- (ix) **“Heritage Spirit”** means plain spirit manufactured by the heritage liquor manufacturing unit having only Mahua flowers as its base and in which no mixing or compounding has been done. It shall have the strength & specifications as specified by the Excise Commissioner on the basis of Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 and Indian Standard IS 5287:2005, notified for Pot Still distilled spirit;
- (x) **“Licensing Authority”** means the officer/officers authorized to perform such functions related to licenses laid down in these rules;
- (xi) **“Mahua”** means plant/tree named *Madhuca Indica longifolia* and its flowers.
- (xii) **“Notified Tribal Area”** means area notified as such by the government with respect to Madhya Pradesh;
- (xiii) **“Officer-in-charge”** means an officer of the Excise Department not below the rank of Sub-Inspector, appointed as officer-in-charge of a heritage liquor manufacturing unit /units;
- (xiv) **“Person”** shall include Self Help Group (SHG);
- (xv) **“Scheduled Tribe”** means any tribe or tribal community or part of it, or group within such tribe or tribal community specified as

Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

- (xvi) **"Self Help Group"** – means a group of Scheduled Tribe within the notified tribal areas of the state, usually composed of 10-20 members, having at least 50% of its members as women and at least 25% qualified up to 10th standard or equivalent, all voluntarily coming together with a single objective. The members of the SHG shall be residents of the Janpad Panchayat of the area in which the Heritage Liquor Manufacturing Unit is situated;
- (xvii) The words and expressions used but not defined in these Rules, shall carry the meaning assigned to them in the Act or relevant rules made there under.

3(1) Grant of license for Heritage Liquor Manufacturing Unit (HLMU) :-

- (a) A Self Help Group (SHG) intending to construct and work a Heritage Liquor Manufacturing Unit shall submit an application to the Collector of the district in Form "**H.L.-A**". The application shall be accompanied with the Detailed Project Report for setting up the Unit.
- (b) Only Self Help Groups (SHGs) as defined in these rules, shall be eligible for applying for license of Heritage Liquor Manufacturing Unit (HLMU).
- (c) The application fee shall be as per **Schedule-A** of these rules.
- (d) The Collector shall, after scrutiny and examination of the proposal by a Committee chaired by him and consisting of the CEO, Zila Panchayat, the Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer, the Executive Engineer (PWD), the Lead Bank Officer of the district and a subject expert, if any, nominated by the Excise Commissioner, if satisfied with the proposed scheme and credentials of the applicant, accord his approval with changes, if any, and communicate it in the form of a "Letter of approval" in Form "**H.L.-B**". The approval shall be valid for One year from the date of communication, unless especially extended for a period of not more than 6 months, within which period the holder thereof shall complete the construction in all respects, as per the approved DPR

submitted under sub-rule (a) and keep the unit ready for commissioning.

(e) After completion of the construction of the unit as per the approved DPR, the applicant shall obtain the following permissions wherever applicable :-

1. FSSAI Registration Certificate
2. No Objection Certificate from Pollution Control Board
3. Electrical Safety Certificate
4. Fire Safety Certificate
5. Boiler Safety Certificate
6. No objection from the local body

The applicant shall inform the Collector regarding the completion of the work and receipt of the above permissions.

(f) Along with the above information, he will give an affidavit to the effect that before the operation of the unit, he will appoint a skilled and trained qualified person as an expert in distillation process as per Rule 3(3)(g), before commencement of operations.

(g) The Collector shall, upon such intimation, get the unit inspected by a committee consisting of:

- (i) Chief Executive Officer, Zila Panchayat
- (ii) Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer
- (iii) Executive Engineer (PWD)
- (iv) Subject expert nominated by the Excise Commissioner (if any)

(h) After receiving the satisfactory report of the committee and payment of prescribed license fee by the unit, the Collector shall grant the license for the Heritage liquor Manufacturing Unit in form "H.L.-1", not later than a month after application, after which the licensee shall be free to start production. In the first one year the unit will be able to operate only up to a total pot still capacity of 1000 liters. One Self Help Group (SHG) shall be entitled to only one such license. The license shall be of a perpetual nature, subject to due observance of the provisions of the Act and these Rules and conditions of the license.

- (i) The licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer, or sub lease his license other than as approved by the Excise Commissioner.
- (j) The licensee may apply to the Collector for enhancement of the manufacturing capacity of the unit after successfully running the unit for one year and full utilization of original capacity. If the unit is functioning at full capacity, capacity enhancement of up to a maximum of 2000 liters shall mandatorily be given.
- (k) The license fee for the license HL-1 shall be as per Schedule-A of these rules.

3(2) Sale of licensed Heritage Liquor Manufacturing Unit to any other Self Help Group (SHG)-

A Self Help Group (SHG) may sell its licensed Heritage Liquor Manufacturing Unit to any other Self Help Group (SHG) after completion of a period of at least one year from commencement of production. It shall be mandatory for the purchasing Self Help Group (SHG) to obtain a new license in their own name for this Heritage Liquor Manufacturing Unit. Provisions of clause (e) to (k) of sub-rule 3(1) shall be applicable in such case.

3(3) Blending, Compounding, Manufacture, Working and Control:-

- (a) The machinery, equipment etc. installed in the heritage liquor manufacturing unit shall be broadly as determined by the Excise Commissioner. The DPR shall be approved by the Collector under the above directions. Any improvement in the building, plant or machinery maybe done by the approval of the OIC. However, no material alteration in the manufacturing process shall be permitted.
- (b) Measurement of final alcohol content of output, storage of spirit and liquor, bottling of the liquor and dispatch of liquor shall be done under the supervision of the officer-in-charge
- (c) Heritage Liquor manufacturer may undertake the process of blending and/or compounding for manufacturing Heritage Liquor.

- (d) The licensee shall keep an account of the base materials, blending agents, spirit and liquor etc. in the formats prescribed by the Excise Commissioner.
- (e) For the first month after commencement of production, the samples from every batch produced shall be sent to the Excise department's laboratory/FSSAI/BIS approved laboratory for testing. The liquor shall be issued only if the test results comply with the requirements prescribed under IS 5287 : 2005.
- (f) After the first month, samples of each batch of manufactured spirit/liquor will be taken at the cost of the licensee for sending them for purposes of chemical analysis. The batch shall have to be tested in accordance with IS 5287: 2005. If found substandard or unfit for human consumption, it will be recalled if already issued, then redistilled or rejected and destroyed under the orders of the Collector or an officer authorized by him.
- (g) The licensee shall engage the services of a qualified expert to look after the technical aspects of the unit. Such a person should be a diploma/Certificate holder from a recognised institute in the subject "Fermentation and Alcohol Technology".
- (h) The licensee shall establish his own laboratory within the unit premises which can, at the least, do the following tests :
1. Humidity % in Mahua Flower
 2. Sugar content in Mahua wash
 3. General Appearance (odor/taste and aroma/free from sediments)
 4. Alcohol content in the product
- (i) The following tests shall be conducted under IS 5287: 2005 -
1. Ethyl alcohol content at 20 deg C, (percent by v/v).
 2. Residue on evaporation, percent (m/v).
 3. Volatile acids as acetic acid, (gm/100 L of absolute alcohol).
 4. Higher alcohols as amyl alcohol, (gm/100 L of absolute alcohol).
 5. Methyl alcohol, (gm/100 L of absolute alcohol).
 6. Total esters as ethyl acetate, (gm/100 L of absolute alcohol).
 7. Furfural, (gm/100 L of absolute alcohol).

8. Aldehydes as acetaldehyde, (gm/100 L of absolute alcohol).
9. Copper, (mg/L)
- (j) Complete testing as per FSSAI standards may be done on random sampling basis as prescribed by the Excise Commissioner.
- (k) The licensee shall make arrangements for sanitized and hygienic procurement and storage of Mahua flowers.
- (l) The unit shall be responsible for maintaining such minimum fermentation and distillation efficiency and such minimum recovery of spirit as prescribed by the Excise Commissioner
- (m) The licensee shall use the heritage spirit manufactured by him for manufacturing and bottling heritage liquor in his own unit only.
- (n) The Heritage Liquor Manufacturing Unit may age the heritage liquor manufactured by it as per process, standards, terms and conditions decided by the Excise Commissioner.
- (o) The license fee for the license "H.L.-1-A" shall be as per Schedule-A of these rules.

4- Bottling of Heritage Liquor. –

- (1) The bottling of Heritage Liquor shall be carried out in the licensed Manufacturing Unit premises only.
- (2) All operations relating to the filling of bottles with Heritage Liquor shall be conducted under the supervision of the officer-in-charge.
- (3) For bottled Heritage Liquor, a deviation margin up to **1% (v/V)** from the alcoholic strength mentioned on the label, shall be permitted.
- (4) The licensee shall paste a label, registered with the Excise Commissioner, displaying all the particulars enumerated in sub rule (1) of rule 5, on every bottle.
- (5) Heritage liquor may be bottled only in glass bottles of up to 750 ml capacity. Export of heritage liquor out of India may be allowed in other type and capacity of containers.
- (6) Excise Adhesive Label (EAL)/Hologram shall be affixed to every bottle/ container.
- (7) The bottling fees shall be as per Schedule-A of these rules.

5-Registration of Labels. -

(1) All Heritage Liquor Manufacturing Units shall, for each type of liquor that is manufactured or proposed to be manufactured by them, be required to register their labels with the Excise Commissioner. Such labels shall be the IPR of the HLMUs. The label should contain at least the following legends and details which shall be required to be printed in Hindi or English language and pasted on the bottles of Heritage Liquor:

- (a) The words "Heritage Mahua Liquor" and "Madhya Pradesh".
- (b) "Pot-Still Distilled"
- (c) Date, Month and Year of Manufacture
- (d) Name of the Self Help Group (SHG)
- (e) Name and place of Manufactory
- (f) Batch number
- (g) Name of the Scheduled Tribe area where manufactured
- (h) Brand Name
- (i) Registration number of label
- (j) Minimum Selling price
- (k) Maximum Retail price
- (l) FSSAI registration No.
- (m) Alcohol content in %(v/V)
- (n) Net Volume in ml
- (o) For sale in MP/For Export
- (p) "Packaged/ Marketed/ distributed by.."
- (q) "Consumption of liquor is injurious to health."
- (r) "Don't drink and drive"
- (s) Other information as directed by the Excise Commissioner.

But, the word "Mahua" shall not be used as a trademark or brand by the unit.

- (2) A marketing partner of the Unit partnered with as per Rule 6 (b), may get labels registered solely for the purpose of export out of India.

(3) Only such bottles of Heritage Liquor with labels showing legends/details as specified in sub-rule (1), duly registered with the Excise Commissioner may be sold in and transported within Madhya Pradesh. For bottles that are exported, labels may carry such additional information as is required by the importing entity/ authority.

(4) Label registration fee shall be as per **Schedule-A** of these rules.

6- Transport and Sale of Heritage Liquor –

- (a) Transport of Heritage Liquor shall be permitted in Form- "H.L.-3" and "H.L.-4".
- (b) Heritage Liquor Manufacturing Units shall be allowed to hire or partner with Marketing Agencies to design, package, brand, trademark, distribute and sell the Heritage Liquor. Such Marketing agencies may be registered companies/ registered cooperatives or registered societies who can enter into agreements with the Heritage Liquor Manufacturing Units on a payment based/revenue sharing model. The terms and conditions of such agreements shall be approved by the Collector subject to the guidelines issued by the Excise Commissioner.
- (c) Heritage Liquor Manufacturing Units may apply for "H.L.-1-A" **License Factory Retail Outlet (FRO)** for providing tasting and selling facility at unit premises as per terms and conditions of the license.
- (d) License **H.L.-2 Retail Outlet (RO)** shall be issued by the Collector for retail sale of Heritage Liquor through Manufacturing Unit's own outlet/franchisee outlet/marketing partner's outlet. Sale of Heritage Liquor shall be permitted at any location except those disallowed by the Government as per policy or as per provisions of the Act.
- (e) Sale of Heritage Liquor shall not be done through licensed FL/CL/Composite Liquor shops/Wine shops/other licensed retail outlets under FL Rules unless specifically permitted by the State Government and where such permission is given, no separate Retail license under these Rules shall be required to be obtained by such outlets.

- (f) Heritage liquor can also be sold from shops located at the airport.
- (g) The supply and sale of Heritage Liquor to the above mentioned retail outlets shall be done by the Manufacturing Unit/Marketing partner directly.
- (h) The Minimum Selling Price of Heritage Liquor shall be approved by the Excise Commissioner while Maximum Retail Price of heritage liquor shall be decided by Heritage Liquor Manufacturing Unit/Marketing Partner.
- (i) Sale of Heritage Liquor shall also be permitted from F.L.-2, F.L.-2AA, F.L.-3, F.L.-3A and F.L.-4 bar licenses. Bars may procure the supply of heritage liquor directly from the heritage liquor of units.
- (j) The Excise Commissioner may permit free/on charge storage of Heritage Liquor at Country/Foreign liquor warehouses for onward distribution to permitted Retail Outlets/ Bars.
- (k) The License fee of **H.L.-1-A/ H.L.-2** shall be as per **Schedule-A** of these rules.

7(1)- Export of Heritage Liquor. –

- (1) Only bottled and labeled Heritage Liquor shall be permitted to be exported within India. Export of unbottled Heritage Liquor may be permitted only out of India.
- (2) Export of only those labels of Heritage Liquor shall be permitted which are registered with the Excise Commissioner under Rule 5 of these rules.
- (3) Licensees having **H.L.-1** license and/or their Marketing Partners shall be permitted to export.
- (4) The exporter shall pay in advance, the prescribed export-fee, if any, as decided by the Government.
- (5) Application for grant of export permit shall be made to the Collector or any other officer specially authorised by the Excise Commissioner. The necessary details, for example, the name, address of the exporter, quantity, description and alcoholic strength of the heritage liquor, the unit where it shall be exported, registration number of label etc shall be mentioned in the application. The exporter shall also attach, if exporting within India, to his application a No-

Objection-Certificate or an import pass/permit issued by the authorised excise authority of the importing district and the chemical test report for the batch/batches of the liquor being exported.

(6) On receipt of an application under sub rule (5), the Collector or authorised excise officer shall make necessary enquiries, if the conditions laid down in these rules have been satisfactorily complied with and officer in-charge is of the opinion that there is no objection to the issuance of the export permit, issue the export permit in form H.L.-5, not later than 3 days of receipt of the application.

7(2)– Securing the Verification Report of Export of Heritage Liquor.–

The exporter shall obtain verification report from the officer in charge of the importing unit and furnish it to the authority who issued the export permit, within 25 days from the expiry of period of permit. If the exporter fails to do so, a fine, as decided by the Excise Commissioner shall be imposed;

Provided that in case the verification report is submitted after the stipulated time period, the imposed fine shall be refunded after due verification, to the exporter. In case the consignment meets with an accident or is seized midway by any authority, and it does not reach the destination, the imposed fine shall not be recovered on submitting documentary evidence for the same;

Provided further that if the heritage liquor is exported to another country, the licensee exporting the liquor shall furnish the documentary evidence that the consignment has left the country.

8. All licensees to obtain Transport Permit. –

The licensee shall obtain transport permit in the prescribed form, issued by the authorized officer for transporting Heritage Liquor from/to his licensed premises. The licensee shall follow all the conditions given in the transport permit.

9. Penalties. –

(1) Without prejudice to the provisions of the conditions of the licenses issued under these rules, the Licensing authority may impose upon the licensees a penalty not exceeding rupees 5000/- for any breach or contravention of license conditions, or any of these rules, or the relevant clauses of General License Conditions, or the provisions of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or rules made there under.

(2) The Licensing authority may suspend or cancel the license under section 31 of the Act and may also blacklist the licensee upon a breach or contravention of any of the license conditions, or the relevant clauses of General License Conditions, or of these rules or of the provisions of the Act or of Rules made there under.

10. Miscellaneous. –

(1) The licensee may, at any time, surrender his license.

(2) All Processes under these rules shall be carried out through the department's authorized "E-Aabkari" portal.

(3) The members of the SHG of the licensed HLMU shall have to successfully complete a mandatory short term training as decided by the Excise Commissioner, within 3 months of obtaining the H-1 license.

11. Categories of Licenses/Forms. -

- (a) **H.L.-A** Application for Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (b) **H.L.-B** Approval Letter for Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (c) **H.L.-1** License for Heritage Liquor Manufacturing Unit(**HLMU**).
- (d) **H.L.-1-A** License for Heritage Liquor Factory Retail Outlet (**FRO**) attached with Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (e) **H.L.-2** License for Heritage Liquor Retail Outlet (**RO**).
- (f) **H.L.-3** Transport Permit to transport bottled Heritage Liquor from Heritage Liquor Manufacturing Unit to FRO/RO/Bars/Other sale points;.
- (g) **H.L.-4** Transport Permit to transport bottled Heritage Liquor from FRO and RO to Bars and Other sale points.
- (h) **H.L.-5** Transport Permit to export Heritage Liquor.

Schedule-A

| Sr No | Head | Fee(Rs.) | Remarks |
|-------|--|----------|----------------------|
| 1 | Application fee for setting up H.L.M.U.H.L.-A | 500 | One time |
| 2 | License fee for H.L.-1 (H.L.M.U.) | 5000 | One time |
| 3 | License fee for H.L.-1-A Factory Retail Outlet (FRO) | 1000 | Per Annum |
| 4 | License fee for H.L.-2 Retail Outlet (RO) | 1000 | Per Annum |
| 5 | Bottling fee | Nil | -- |
| 6 | Label Registration Fee | 500 | Per Label |
| 7 | Export fee | Nil | -- |
| 8 | Transportation fee | Nil | Per Transport Permit |

FORM HL-A

[See Rule 3(1)(a)]

**APPLICATION TO ESTABLISH A HERITAGE LIQUOR MANUFACTURING UNIT
(HLMU)**

1. Name of the notified tribal area -
2. Details of the applicant self-help group (SHG)
 - (i) Name and address of the self-help group -
 - (ii) Registration number of self-help group -
 - (iii) Total number of members -
 - (iv) The names of the members -
 - (v) Number of female members -
 - (vi) Number of members having class 10th or above education -
 - (vii) Mark-sheets of members, enclosed - Yes/No
 - (viii) Digital caste certificates of the members, enclosed - Yes/No
 - (ix) Details of the Bank account of the self-help group -
 - (x) Permanent account number of the self-help group (PAN card) -
3. Work Experience, if any -
4. Proposed location for Heritage Liquor Manufacturing Unit
 - (i) Description of land
 - (a) Khasra Number -
 - (b) area -
 - (c) Name of the owner of the land -
 - (d) Description of construction (if any) -
 - (ii) Village -
 - (iii) Tehsil -
 - (iv) District -

5. Attach Detailed Project Report (DPR) -
6. Proposed Annual Production Capacity -
7. Requirement and availability of water and electricity -
8. No Objection Certificate of Local Body -
9. No Objection Certificate of Pollution Control Board -
10. Details of the brands and labels of the proposed heritage liquor -
11. Employment potential
 - (i) supervisory staff -
 - (ii) Skilled workers -
 - (iii) unskilled workers -
12. (i) Any special facilities required from the Government -
(ii) Special features of the scheme (if any) -
13. Challan number and date in support of payment of the fee

Signature of the applicant
With date

FORM HL-B
[See Rule 3(1)(d)]

From,

Collector

District

To,

M/s ...

Sub.- Approval of the scheme to manufacture Heritage Liquor

Ref.- Your proposal to manufacture Heritage Liquor Dated

The Collector has perused your application submitted vide your letter cited above for the manufacture of Heritage liquor under a license to be granted and has tentatively decided to approve the proposal with the following modifications :-

(i)

(ii)

(iii)

without any commitment, subject to the fulfilment of the formalities laid down in the rules by you.

It will be your sole responsibility to obtain any other Licenses and Permissions required for your project under the Acts, Rules, Regulations and Orders of the Government of Madhya Pradesh as well as of the Government of India.

This Letter of Approval is valid for a period of one year from its date of communication. It shall not, however confer any right or privilege for the grant of license in your favour and it may be cancelled at any time in public interest and in such an event no compensation or damages, whatever shall be, payable.

Collector

District

Note- Upon completion of project as per your application and modifications, contact this office/apply online for issue of HL-1 license.

FORM HL-1**[See Rule 3(1)(h)]****License to manufacture Heritage Liquor in the Heritage Liquor Manufacturing Unit (HLMU) at ...**

Under the Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022 and in consideration of the payment of a license fee of Rs. 5000/- , License is granted to(NAME OF SHG) of..... (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) hereinafter called the licensee to manufacture heritage liquor in the manufactory at(VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) as described in the schedule below from (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy) subject to the following conditions:

1. All operations relating to manufacture of heritage spirit/liquor shall be conducted at the licensed premises situated at (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) as per the map and plan approved by the Collector and enclosed with this license.
2. The licensee shall not start the manufacturing operations of heritage spirit/liquor without prior notice, incorporating the relevant details, to the officer-in-charge.
3. The licensee shall procure the heritage spirit for manufacturing heritage liquor from its own unit only as per the prescribed terms and conditions.
4. The licensee shall deposit the prescribed bottling fee, if any, in advance before commencing the bottling.
5. The licensee shall use only clean and potable water in the process of manufacture of Heritage Liquor.
6. The licensee shall use natural additives which are suitable for human consumption. Synthetic/artificial additives shall not be used.
7. All heritage liquor bottled in one blending operation shall be given the same batch number and shall be bottled, sealed, and labelled.
8. The licensee shall affix the Excise Adhesive Labels (EAL)/Hologram on each bottle of Heritage Liquor.
9. The licensee shall use only such labels as are registered with the Excise Commissioner. The labels pasted on the bottles shall be as per Rule 5(1) of the Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022.

10. The manufactured heritage liquor shall comply with the requirements prescribed under the Bureau of Indian Standard (BIS) IS:5287:2005 and any other standards as decided by the Excise Commissioner.
11. The licensee shall observe the provisions of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915, rules made thereunder and conditions of license. He shall also follow all directions and instructions issued by the State Government and the Excise Commissioner.
12. The licensee shall not increase the distillation capacity without the prior permission of the Collector.
13. On breach of any of the conditions of this license, or of the relevant clauses of the General License Conditions, or of the provisions of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or of the rules made thereunder, penalty may be imposed, or license may be suspended/cancelled by the Collector.

Granted this day of..... 202

Collector
District.....

SCHEDULE

| Description of site | Boundaries of site | | | |
|---------------------|--------------------|------|-------|------|
| | North | East | South | West |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Collector
District.....

FORM HL-1A**[See Rule 6(c)]****Retail Sale License to sell and taste Heritage Liquor in a shop(FRO) attached to the Heritage Liquor manufacturing unit at ...**

Under the Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022 and in consideration of the payment of a license fee of Rs. 1000/-, License is granted to (NAME OF SHG) of..... (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) hereinafter called the licensee to sell and taste Heritage Liquor by retail in the shop located at (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) as described in the schedule below from to subject to the following conditions:

1. The establishment and operation of the shop shall be managed by the Heritage Liquor Manufacturing Unit/marketing partner only.
2. The licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer, or sub lease his shop other than as approved by the Excise Commissioner.
3. The licensee shall procure supply of Heritage Liquor only from the Heritage Liquor Manufacturing Unit to which it is attached on the basis of a transport permit in Form HL-3 issued by the officer-in-charge of the Heritage Liquor manufacturing unit.
4. The maximum limit of sale of Heritage Liquor to an individual shall be within the limit of possession of Heritage Liquor by an individual.
5. It shall be permissible to allow the tasting of Heritage Liquor at the shop as per terms and conditions prescribed by the Excise Commissioner.
6. The Heritage Liquor shall not be sold/tasted to any person below 21 years of age.
7. The sale of bottled Heritage Liquor from the shop to Restaurant Bars, Hotel Bars, Resort Bars, Commercial Club Bars, and other points of authorized sale shall be permissible on the basis of a transport permit in Form HL-4 issued by the Officer-in-charge of the unit.
8. The licensee shall preserve all the permits and invoices of stock received in proper order and produce them before the inspecting authority.
9. The licensee shall maintain day to day label wise account of heritage liquor received and sold.

10. The licensee shall keep the shop closed on such dry days as are specified in Schedule-II.
11. On breach of any of the conditions of this license or of the relevant clauses of the General License Conditions or of the provisions of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or of the rules made thereunder, penalty may be imposed, or this license may be suspended/cancelled by the Collector.

Granted this day of..... 202

Collector

District.....

SCHEDULE-I

| Description of site | Boundaries of site | | | |
|---------------------|--------------------|------|-------|------|
| | North | East | South | West |
| | | | | |

Collector

District.....

SCHEDULE-II

List of dry days

FORM HL-2**[See Rule 6(d)]****Retail Sale License to sell Heritage Liquor in a shop(RO)**

Under the Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022 and in consideration of the payment of a license fee of Rs 1000/-, License is granted to.....resident of.... (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT)hereinafter called the licensee to sell Heritage Liquor by retail in the shop located at.... (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) as described in the schedule below from to subject to the following conditions:

1. The establishment and operation of the shop shall be managed by the licensee.
2. The licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer, or sub lease his shop other than as approved by the Excise Commissioner.
3. The licensee shall procure supply of Heritage Liquor from a licensed Heritage Liquor manufacturing unit on the basis of a transport permit in Form HL-3 issued by the officer-in-charge of the unit.
4. The maximum limit of sale of Heritage Liquor to an individual shall be within the limit of possession of Heritage Liquor by an individual.
5. The licensee shall sell the Heritage Liquor in sealed bottles only.
6. Drinking of Heritage Liquor is not permitted in the shop premises.
7. The sale of bottled Heritage Liquor from the shop to Restaurant Bars, Hotel Bars, Resort Bars, Commercial Club Bars, and other points of authorized sale shall be permissible on the basis of a transport permit in Form HL-4 issued by the Officer-in-charge of the excise circle.
8. The licensee shall preserve all the permits and invoices of stock received in proper order and produce them before the inspecting authority.
9. The licensee shall maintain day to day label wise account of heritage liquor received and sold.
10. The licensee shall keep the shop closed on such dry days as are specified in Schedule-II.
11. On breach of any of the conditions of this license or of the relevant clauses of the General License Conditions or of the provisions of the Madhya

Pradesh Excise Act, 1915 or of the rules made thereunder, penalty may be imposed, or license may be suspended/cancelled by the Collector.

Granted this day of..... 202

Collector

District.....

SCHEDULE-I

| Description of site | Boundaries of site | | | |
|---------------------|--------------------|------|-------|------|
| | North | East | South | West |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Collector

District.....

SCHEDULE-II

List of dry days

FORM H.L.-3**TRANSPORT PERMIT**

[See Rule 6(a)]

[To transport bottled heritage liquor from Heritage Liquor Manufacturing Unit (HL-1) To Heritage Liquor Factory Retail Outlet (HL-1A)/Heritage Liquor Retail Outlet (HL-2)]

No.**DATE**

Part I : To be retained in the issuing office .

Part II : For the purchasing licensee transporting from Heritage Liquor Manufacturing Unit [HL-1] to Heritage Liquor factory retail outlet [HL-1A]/Heritage Liquor Retail Outlet [HL-2].

Part III :This part shall cover the consignment during transit and the Officer-in-Charge of Excise Circle in which the factory Heritage Liquor retail outlet/Heritage Liquor Retail Outlet, after recording verification note on it keep it in his office records.

Part IV : For the selling licensee for records.

Mr./Messrs.....holder of HL-1A/HL-2 license is hereby permitted to transport bulk/proof litres of Heritage Liquor details whereof are given overleaf to his/their licensed premises at from HL-1 licensee This permit holder has deposited Rs. (.....only) by Challan No.....dated.....as transport fee in district. This permit shall remain valid up to

CONDITIONS

1. The consignment shall not be broken in transit and shall be routed to the destination via.....
2. Vehicle No.....has left the licensed premises of this unit with Heritage Liquor detailed overleaf atA.M./P.M. today on.....

Date.....**Officer-In-Charge****Heritage Liquor Manufacturing Unit****.....District(M.P.)**

(Details of Heritage Liquor for which this transport permit is issued)

| Sr No | Brand/Label | Batch No. and Date | Number of Boxes | | | | Total No of Boxes |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------------------|
| | | | 750 ml | 375 ml | 180 ml | 90 ml | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Strength | Quantity in Bulk liters | Quantity in Proof liters |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 10 | 11 |
| | | |

Date.....

Officer-In-Charge,**Heritage Liquor Manufacturing Unit**

.....District (M.P.)

**FORM H.L.-4
TRANSPORT PERMIT**

[See Rule 6(a)]

**(To transport bottled heritage liquor from Heritage Liquor Manufacturing Unit (HL-1)/
Heritage liquor Factory Retail outlet (HL-1A)/Heritage Liquor Retail outlet (HL-2) To
Bars/Points of sale)**

No.

DATE

Part I: To be retained in the Issuing office.

Part II: For the purchasing licensee, transporting Heritage Liquor from HL-1/HL-1A/HL-2 to Bars/Other point of sale.

Part III: This part shall cover the consignment during transit and the Officer-in-Charge of Excise Circle in which the Bar/Other point of sale, after recording verification note on it keep it in his office records.

Part IV: For the selling licensee for records.

Mr./Messrs.....holder of FL-2/FL-2AAA/FL-3/FL-3A and FL-4 license is hereby permitted to transport bulk/proof litres of Heritage Liquor details whereof are given overleaf to his/their licensed premises at from HL-1/HL-1A/HL-2 licensee This permit holder has deposited Rs. (.....only) by Challan No.....dated.....as transport fee in district. This permit shall remain valid up to

CONDITIONS

- (1) The consignment shall not be broken in transit and shall be routed to the destination via.....
- (2) Vehicle No.....has left the licensed premises of this unit with Heritage Liquor detailed overleaf atA.M./P.M. today on.....

Date.....

Officer-In-Charge / Excise Sub Inspector
HLMU..... / Circle
.....District

(Details of Heritage Liquor for which this transport permit is issued)

| Sr No | Brand/Label | Batch No. and Date | Number of Boxes | | | | Total No of Boxes |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------------------|
| | | | 750 ml | 375 ml | 180 ml | 90 ml | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Strength | Quantity in Bulk liters | Quantity in Proof liters |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 10 | 11 |
| | | |

10/10/2023

Date.....

Officer-In-Charge / Excise Sub Inspector
 HLMU.....
 Circle
District

FORM H.L.-5**TRANSPORT PERMIT (FOR EXPORT)**

[See Rule 7(1)(6)]

To export bottled heritage liquor from Heritage Liquor Manufacturing Unit(HL-1)

No.

DATE

Part I : To be retained in the Heritage Liquor Manufacturing Unit .

Part II : For the licensee transporting from Heritage Liquor Manufacturing Unit. This part will accompany and cover the consignment during transport.

Part III : To be sent to the Officer-in-charge of the importing unit.

Part IV : To be sent to the Officer who authorized the import who will transmit it to the OIC of the importing unit for verification of the consignment and onward transmission to the office who issued the export permit.

Mr./Messrs holding a Heritage Liquor Manufacturing Unit license (HL-1) is hereby permitted to transport of Heritage Liquor details whereof are given overleaf from his licensed premises at (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) to the importing unit situated at..... (VILLAGE/TEHSIL/DISTRICT) in the state. This permit holder has deposited Rs (.....only) by Challan No.....dated.....as export fee in district. This permit shall remain valid up to

CONDITIONS

1. The consignment shall not be broken in transit and shall be routed to the destination via.....
2. Vehicle No.....has left the licensed premises of this unit with Heritage Liquor detailed overleaf atA.M./P.M. today on.....

Date.....

Officer-In-Charge**Heritage Liquor Manufacturing Unit**

.....District (M.P.)

(Details of Heritage Liquor for which this transport permit is issued)

| Sr No | Brand/Label | Batch No. and Date | Number of Boxes | | | | Total No of Boxes |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------------------|
| | | | 750 ml | 375 ml | 180 ml | 90 ml | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Strength | Quantity in Bulk liters | Quantity in Proof liters |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | 10 | 11 |
| | | |

Date.....

Officer-In-Charge

Heritage Liquor Manufacturing Unit

.....District (M.P.)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.